राजीव गाँधी राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान शिमला–171004 के छात्र निधि लेखों अवधि 04/2011 से 3/2014 का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित शेष पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेंक्षित है। अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/90

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/91

1	पैरा–11	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/93

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–25	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/93 से 03/97

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (घ, ङ, च, झ, ठ से ड, ध, न, प, ब, भ व म)	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत

4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13 (क से ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा–14 (ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (ज, झ, ञ, ठ, ढ, त)	अनिर्णीत
8	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/98

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (1, 2, 3, 5)	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/98 से 03/2001

1	पैरा–5 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क, ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–12	अनिर्णीत
4	पैरा–15 (क, ख, ग से ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (क से ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13 (क, ग, घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (ङ) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (च)	अनिर्णीत

9	पैरा—14	अनिर्णीत
10	पैरा—15	अनिर्णीत
11	पैरा—17	अनिर्णीत
12	पैरा—18	अनिर्णीत
13	पैरा—20	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2006

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—14	अनिर्णीत
5	पैरा—16	अनिर्णीत
6	पैरा—20	अनिर्णीत
7	पैरा—21	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2008

1	पैरा—4 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (च)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (छ)	अनिर्णीत
5	पैरा—5	अनिर्णीत
6	पैरा—6	अनिर्णीत
7	पैरा—7	अनिर्णीत
8	पैरा—8	अनिर्णीत
9	पैरा—8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा—9	अनिर्णीत
11	पैरा—9 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा—9 (3)	अनिर्णीत
13	पैरा—10	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2011

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹21000/– बैंकर चैक संख्या 840563, दिनाँक 1.7.2011 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को भेज दिया गया)
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	निर्णीत	(पैरा अवधि 4/11 से 3/14 में पुनः प्रारूपित किया गया)
6	पैरा–8 (1, 2)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9	निर्णीत	(सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के फलस्वरूप)
8	पैरा–10	निर्णीत	(सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के फलस्वरूप)
9	पैरा–11	निर्णीत	(पैरा अवधि 4/11 से 3/14 में पुनः प्रारूपित किया गया)

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

राजीव गाँधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, शिमला–171004 के निधि लेखाओं अवधि 4/2011 से 03/2014 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री ज्ञान चन्द शर्मा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) और श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 6.8.2014 से 30.8.2014 तक किया गया विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 6/2011, 6/2012 और 6/2013 एवं व्यय के लिए माह 6/2011, 12/2012 और 7/2013 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,

संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।"

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2011 से 3/2014 के दौरान प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत्त पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	डा0 प्रवीण महाजन	1.4.2011 से 7.1.2013
2	डा0 उमा रणदेव	8.1.2013 से 31.3.2014

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजीव गाँधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, शिमला–171004 के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/14 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹21000/– बनता है। सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 5 दिनाँक 16.8.2014 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या 900917, दिनाँक 16.8.2014 द्वारा ₹21000/– का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(1) महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 की वित्तीय स्थिति का छात्र निधिवार विवरण परिशिष्ट "क" पृष्ठ–1 से 6 पर दिया गया है।

(2) विभिन्न फण्डों के दिनाँक 31.3.2014 को रोकड़ बही के अन्तिम शेषों व वित्तीय विवरणी के अन्तिम शेषों में दिनाँक 1.4.2011 के ₹10827157.52 का भारी अन्तरः–

दिनाँक 31.3.14 को प्रस्तुत वित्तीय विवरणी के विभिन्न फण्डों के अन्तिम शेषों व रोकड़ बही के अन्तिम शेष में ₹10827127.52 का भारी अन्तर है जो प्रथम दृष्टया फण्डों से सावधिक जमा खातों में निवेश व उन पर अर्जित ब्याज के कारण हो सकता है। अतः इस भारी अन्तर का महाविद्यालय स्तर पर जाँच करके पता लगाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत कराऐं। (निधिवार अन्तर की विवरणी **परिशिष्ट "ख"** में संलग्न है)

5 विभिन्न फण्डों का अकुशल वित्तीय प्रबन्धनः–

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि इण्डियन बैंक, चौडा मैदान शिमला के बचत खाता संख्या 514453107 में दिनाँक 31.3.2012 को ₹4477779/– दिनाँक 31.3.2013 को ₹5427919/– तथा दिनाँक 31.3.2014 को ₹9118773/– की राशि जमा थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि यदि भविष्य में बचत खातों में कोई आधिक्य/अनपयुक्त हो तो उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान रखते हुए सावधि खाते में जमा निवेश किया जाए जिससे महाविद्यालय को अधिक ब्याज के रूप आय प्राप्त हो सके जिसे छात्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सके।

इसी प्रकार से पुस्तकालय प्रतिभूति निधि के बचत खाते की जाँच करने पर भी पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा शिमला के बचत खाता संख्या 4380115249 में दिनाँक 31.3.2012 को ₹957039/– दिनाँक 31.3.2013 को ₹868231/– तथा दिनाँक 31.3.2014 को ₹948509/– की राशि जमा शेष थी। उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अधिक्य/अनुपयुक्त राशि को सावधि जमा खाते में निवेशित किया जाए ताकि अधिक से अधिक ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सके।

6 सावधि जमा खाते पर ₹19568/– ब्याज के रूप में कम प्राप्तिः–

(1) वर्ष 2011–12 में दिनाँक 24.11.2011 को निम्नलिखित सावधि जमा खाते इंडियन बैंक में निवेशित किए गएः–

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0	राशि	अवधि	ब्याज दर
1	687477	456335	एक वर्ष	9.50 प्रतिशत
2	684480	2358898	एक वर्ष	9.25 प्रतिशत
3	687481	2366635	एक वर्ष	9.25 प्रतिशत
4	687479	1188503	एक वर्ष	9.50 प्रतिशत

उपरोक्त के अवलोकन से यह पाया गया कि क्रम संख्या 2 व 3 में निवेशित सावधि जमा खाते पर 9.25 प्रतिशत ब्याज दर दिया जबकि अन्य निवेशित राशि पर 9.50 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया जबकि निवेश की तिथि सभी मामलों में 24.11.11 थी जिसके लिए

स्थिति स्पष्ट करें तथा इस तरह ब्याज के रूप में कम प्राप्त राशि ₹12665/– बनती है। यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक के साथ गम्भीरता से उठाया जाए बैंक द्वारा ब्याज के रूप में कम दी गई राशि ₹12665/– की वसूली सुनिश्चित की जाए जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बैंक का नाम	**सावधि जमा खाता सं0**	**राशि**	**अवधि**	**परिपक्वता राशि 9.5 प्रतिशत की दर से देय**	**परिपक्वता राशि 9.25 प्रतिशत की दर से प्राप्त**	**कम प्राप्त राशि**
इण्डियन बैंक	687480	2358898	एक वर्ष	2591104	2584782	6322
–यथोपरि–	687481	2366635	एक वर्ष	2599603	2593260	6343
					योग	**12665**

इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में दिनाँक 24.11.12 को उपरोक्त सावधि जमा खाते जिनका विवरण निम्न प्रकार से है पुनः कम ब्याज दर पर निवेशित की जिसके लिए भी स्थिति स्पष्ट करें तथा इस तरह ब्याज की कम प्राप्त राशि को सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाऐंः–

क्र0सं0	**एफ0डी0आर0सं0**	**राशि**	**ब्याज दर**	**अवधि**
1	687477	501256	9.25	एक वर्ष
2	687480	2584782	8.75	एक वर्ष
3	689481	2593260	8.75	एक वर्ष
4	687479	1305497	9.25	एक वर्ष

(2) सावधि जमा खाता संख्या 687477 दिनाँक 24.11.12 को ₹501256/– जो इण्डिन बैंक में 9.25 प्रतिशत ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित थी जिस पर बैंक द्वारा ₹6323/– कम ब्याज दिया गया विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जाएः–

बैंक का नाम	सावधि जमा सं0	राशि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता राशि देय	परिपक्वता राशि प्राप्त	कम प्राप्त राशि
इण्डियन बैंक	687477	501256	9.25 प्रतिशत	एक वर्ष	549255	542932	6323

(3) सावधि जमा खाता संख्या 053408 दिनाँक 8.8.10 ₹4073604/– जो इंडियन बैंक में 7 प्रतिशत ब्याज दर से एक वर्ष के लिए निवेशित थी जिस पर बैंक द्वारा ₹580/– कम ब्याज दिया गया विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जाए।

बैंक का नाम	सावधि जमा सं0	राशि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता राशि देय	परिपक्वता राशि प्राप्त	कम प्राप्त राशि
इण्डियन बैंक	053408	4073604	7 प्रतिशत	एक वर्ष	4366330	4365750	580

7 ₹3105307/– ब्याज की आय को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 1.4.2011 से 31.3.2014 तक सावधि निवेश खातों में जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की राशि ₹3105305/– (वर्ष 2011–12 ₹982554+2012–13 ₹1281758+वर्ष 2013–14 ₹840995) को रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया था। सावधि निवेश खातों में अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011 के पैरा 6 में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः सावधि निवेश खातों में अर्जित ब्याज की राशियों को रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी शीघ्र अवगत करवाया जाए।

8 बरसर भत्ते (Burser Allowance) के रूप में ₹2912 का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 29/2013 द्वारा डा0 दलीप शर्मा को बरसर भत्ते के रूप में अवधि 12.7.2012 से 30.6.2013 तक ₹750/– प्रतिमाह की दर से ₹8734 का भुगतान निम्न विवरण के

अनुसार किया गया है जबकि संयुक्त निदेशक (कॉलेज), निदेशालय शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की पृष्ठांकन संख्या ईडीएन–एच(8) 14/84–99 दिनाँक 15.11.1999 द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार इन्हें भत्ता ₹500 प्रतिमाह की दर से देय था। अवधि 12.7.2012 से 30.6.13 के दौरान महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 2000 से कम थी। इस प्रकार इस अवधि में बरसर भत्ते की अदायगी ₹500/– प्रतिमाह की दर से ₹5822/– की अदायगी देय थी परन्तु उक्त अवधि में ₹8734/– का भुगतान करके ₹2912 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹2912/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किए जाए।

Sr. No.	Period	Rate Drawn	Rate Due	Excess Amount paid
1	12.7.12 से 31.7.12	₹750 P.M. ₹484	₹500 PM 322	162
2	1.8.12 से 30.6.13	₹750 PM	₹500 PM	250X11.2750
		₹8250	₹5500	
	योग	**₹8734**	**₹5822**	**₹2912**

9 पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–

(1) पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की जाँच करने पर पाया गया कि माह 6/2012 में ₹187895/– की राशि निम्नविवरणानुसार व्यय की गई हैः–

वा0सं0	राशि	विवरण
1/2012	3000	स्टेश्नरी क्रय करने हेतु श्रीमती कुसमलता को अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया
2/2012	15845	स्टेश्नरी क्रय करने हेतु
3/2012	169050	पुस्तकालय हेतु 60 कुर्सियाँ व एक मेज क्रय करने हेतु प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, कुसुम्पटी शिमला–9 को भुगतान
योग	**187895**	

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (8) बी (4) 28/08–बजट –लिब, दिनाँक 26.3.2009 के अनुसार पुस्तकालय प्रतिभूति राशि/पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त राशि हेतु अलग से रोकड़ बही तैयार की जानी अपेक्षित थी जिससे यह ज्ञात होता रहे कि कितनी राशि पुस्तकालय प्रतिभूति से जब्त की गई है ताकि उस राशि से उक्त पत्र में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय किया जा सके। महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति राशि/पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त राशि हेतु अलग से रोकड़ बही का रख–रखाव न किए जाने के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि महाविद्यालय में कितनी राशि पुस्तकालय प्रतिभूति राशि से जब्त की गई है। अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पुस्तकालय प्रतिभूति राशि/पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त राशि हेतु अलग से रोकड़ बही का रख–रखाव न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि से जो स्टेश्नरी व फर्नीचर क्रय किया गया है उसका औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि पुस्तकालय प्रतिभूति से स्टेशनरी व फर्नीचर क्रय का कोई भी प्रावधान नहीं है। अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त फर्नीचर की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई जिसकी प्रविष्टि अब स्टॉक रजिस्टर में की जाए व प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाई जाए।

(2) प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारेः–

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में दिनाँक 31.3.2014 को ₹1245416/– की राशि जमा थी। परन्तु कॉलेज प्रशासन द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किए जाने के परिणामस्वरूप यह मालूम नहीं किया जा सका कि उक्त निधि में जमा राशि किन–किन छात्रों द्वारा जमा करवाई गई थी, वर्षवार जमा राशि की क्या स्थिति थी, पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (8) बी (4) 28/08–बजट –लिब, दिनाँक 26.3.2009 के अनुसार यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के दो वर्षों के भीतर पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि वापिस लेने हेतु आवेदन नहीं करता तो उसकी पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी। जब्त राशि का प्रयोग कॉलेज पुस्तकालय के विकास के लिए किया जाएगा परन्तु पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किए जाने के अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि किस किस छात्र कि पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त की जानी चाहिए थी। अतः

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गत वर्षों का पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रजिस्टर तुरन्त तैयार किया जाए। पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राशि को उपरोक्त पत्र द्वारा दिये निर्देशों अनुसार उपयोग में लाया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(3) माह 6/2013 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 22.6.2013 को रसीद संख्या 609722 द्वारा श्री दिनेश कुमार ने ₹15000/– कन्टीन प्रतिभूति के रूप में राशि प्राप्त की गई थी जिसकी प्रविष्टि प्रतिभूति रजिस्टर में नहीं की गई। यह अनियमित है अतः इस की प्रविष्टि प्रतिभूति रजिस्टर में अब की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

10 सावधि जमा खाते की भुनाई गई ₹4178042/– आय के रूप में गलत दर्शाया जानाः–

वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित सावधि जमा खातों को भुनाया गया तथा प्राप्त राशि को उनके सामने दर्शाई गई निधियों में आय के रूप में दर्शाया गया।

एफ0डी0 आर0 सं0	**राशि**	**बैंक का नाम**	**एफ0डी0 आर0 भुनाने की तिथि**	**परिपक्वता राशि प्राप्त**	**वर्ष 13–14 में एफ0डी0आर0 पर अर्जित ब्याज**	**निधि का नाम**	**निधि का नाम व राशि जिसके अन्तर्गत प्राप्ति दिखाई गई राशि**
687480	2584782	इण्डियन बैंक	30.12.13	2835854	251072	ब्याज	1835854
687481	2593260	यथोपरि	9.9.13	2777806	184546	मिश्रित निधि	277806
योग	**5178042**			**5613660**	**435618**		**4613660**

उपरोक्त के अवलोकन पर पाया कि वर्ष 2013–14 के दौरान सावधि जमा खातों को भुनाने से प्राप्त ₹5613660 की राशि में से ₹4613660/– की राशि विभिन्न निधियों में प्राप्त दर्शाई गई जबकि नियमानुसार केवल चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज ₹435618/– को ही आय के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित था। अतः इस प्रकार वर्ष 2013–14 के दौरान ₹4178042 (4613660–435618) की राशि को आय के रूप में गलत दर्शाया गया जिसे आगामी वर्ष में ठीक किया जाए।

11 सावधि जमा खातों में निवेशित राशियों को रोकड़ बही के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित न करनाः–

छात्र निधियों की विभिन्न रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि सावधि जमा खातों में निवेशित राशियों को सम्बन्धित रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011 के पैरा संख्या 7 में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः सावधि खातों में निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में सावधि खातों में निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित/लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

12 विभिन्न निधियों से ₹812654/– के अग्रिम के समायोजन न करने बारेः–

अग्रिम रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय की कटिजैंसी खर्च/अन्य व्यय हेतु विभिन्न निधियों में से दिनाँक 31.3.2014 को विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों ₹812654/– के पास अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। कुछ अग्रिम सम्बन्धित कर्मचारी के नाम पर स्वीकृत न करके पदनाम से किए जा रहे है यह अनियमित है। उक्त अग्रिम राशियों का समायोजन अभी तक नहीं किया गया है जोकि आपत्तिजनक है। अतः उक्त अग्रिम राशियों का समायोजन तुरन्त किया जाए अन्यथा राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

13 **व्यय से अधिक अग्रिम राशि स्वीकृत करने बारेः–**

वाऊचर संख्या 20/2011 दिनाँक 16.6.11 द्वारा ₹25600/– की राशि का भुगतान श्री बलबीर सिंह पटियाल को स्काऊट एण्ड गाईड का कैम्प लगवाने हेतु अग्रिम के रूप में किया गया। कैम्प लगवाने पर कुल व्यय ₹12545 किया गया। इस प्रकार ₹13055/– की राशि कुल व्यय से अधिक की अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था जिसे लगभग 5 माह के उपरान्त निधि में जमा किया गया जिसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता यह प्रकरण शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

14 **स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई वस्तुओं की मदवार प्रविष्टि न करने बारेः–**

वाऊचर संख्या 127/2012 और 130/2012 द्वारा हाऊस परीक्षा निधि से मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला–5 से ₹1609 और ₹2700 की स्टेश्नरी निम्न प्रकार से क्रय की गई है जिसे स्टॉक रजिस्टर में मदवार प्रविष्टि न करके एक ही पृष्ठ पर अंकित किया गया है और उक्त स्टेश्नरी जारी की गई उसकी भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है जो अनियमित है। स्टॉक रजिस्टर में इन वस्तुओं की प्रविष्टि मदवार अब की जाए और वस्तुऐं जारी करने की भी उचित प्रकार से प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय समय पर इन मदों में स्टॉक की क्या स्थिति है प्रविष्टियाँ भण्डारण रजिस्टर में सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए।

Sr. No.	Description	Qty.	Unit Price	Amount
1	Ball Pen Red	50 Pcs	3.50	175
2	Ball Pen Blue	12 Pcs	3.50	42
3	Felt Pen	1 Pkt	14.00	14
4	File Cover	24 Pcs	4.00	96
5	Envelopes SE-8 Laminated	100	302.00	302
6	Office Paste	4.00 Pcs	13.00	52
7	White Fluid	2 Nos	20.00	40
8	File Laces white	1	305.00	305
9	Copier Paper A-4	2 Ream	131.00	262
10	Pin Steel	4 Pcs	17.00	68

11	Ruled Register 96 sheets	4 No.	32.00	128
12	Cotton Tag	1	125	125
			Total	**1609**
1	Pin Steel	30	17.00	510
2	Ball Pen Red	12	3.50	42
3	Ball Pen Blue	10	3.50	35
4	File Cover	40	4.00	160
5	File Borad	35	8.00	280
6	Office Paste	30	13.00	390
7	File Laces White	1000	305.00	305
8	Cotton Tag	3000	125.00	375
9	Copier paper A-4	4 ream	131.00	524
10	Typing Paper	1 ream	59.00	59
11	Felt Pen	1 Pkt	14.00	14
12	Pencil Lead of HP	3 No.	2.00	6
			Total	**2700**

15 साईंस डे पर ₹5000/– का व्यय करने बारेः–

वाऊचर संख्या 128/2012 द्वारा दिनाँक 29.11.2012 को साईंस डे पर 200 विद्यार्थियों को ₹25/– की दर से कुल ₹5000/– का व्यय जलपान पर किया गया है जिसमें विद्यार्थियों की सूची और जलपान में क्या–क्या दिया गया उसका विवरण नहीं दर्शाया गया है। जिस के अभाव में व्यय के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः 200 विद्यार्थियों की सूची और जलपान का विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

16 कोल निधि को अनाधिकृत रूप से संचालित करनाः–

उक्त निधि को पूर्व अंकेक्षण अवधि तक अनाधिकृत रूप से एकत्रित किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निधि लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निधि लेखा को बन्द कर दिया गया है दिनाँक 31.3.2014 इस निधि में ₹36831/– जमा है व इसमें जमा राशि को मिश्रित निधि में हस्तांतरित करने बारे कोई भी प्रयत्न नहीं किए गये यद्यपि इस बारे पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 4/06 से 2/08 पैरा संख्या 4(छ) में अंकेक्षण आपत्ति उठाई

गई थी फिर भी इसके समाधान हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः अतिशीघ्र इस निधि की शेष राशि को मिश्रित निधि में हस्तंतारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 ब्याज शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹5475498/– को सम्बन्धित निधियों में हस्तांतरित न करनाः–

रोकड़ बही की जाँच करने पर यह पाया गया कि दिनाँक 31.3.2014 को ब्याज शीर्ष के अन्तर्गत ₹5475498/– की राशि शेष थी जिसे नियमानुसार विभिन्न निधियों के खातों में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। अतः शीघ्र इस राशि को सम्बन्धित निधियों में हस्तांतरित किया जाए।

18 सरकारी प्राप्तियों का राजकीय कोषगार से मिलान न करनाः–

लेखा परीक्षा अवधि में महाविद्यालय द्वारा सरकारी प्राप्तियाँ जैसे कि प्रवेश शुल्क, विलम्ब प्रवेश शुल्क व टयूशन शुल्क छात्रों से प्राप्त की गई परन्तु इस सम्बन्ध में राजकीय कोषगार से जमा करवाई राशियों के सम्बन्ध में मिलान नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में सरकारी कोष में सम्पूर्णः राशि जमा करने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सरकारी कोष के साथ मिलान न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। जमा करवाई गई राशियाँ/सरकारी प्राप्तियों का मिलान कोषागार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रक्रिया को भविष्य में नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 माह 6/2011 में विभिन्न निधियों में से ₹120/– बैंक में कम जमा करने बारेः–

चयनित माह 6/2011 में श्री राकेश विद्यार्थी से रसीद संख्या 231727 दिनाँक 29.6. 2011 द्वारा ₹1609 विभिन्न प्रकार की निधियों के रूप में प्राप्त किए गए थे परन्तु निधि एकत्रीकरण रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि ₹1489/– करने के परिणामस्वरूप बैंक में ₹120 कम जमा किये गये। अंकेक्षण के दौरान उक्त कम जमा की गई राशि को रसीद संख्या 612924 दिनाँक 14.8.2014 ₹20 तथा रसीद संख्या 612984 दिनाँक 19.8.2014 ₹100 (20+100) कुल ₹120 की राशि को जमा करवा दिया गया है। अतः भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

20 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

21 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एलए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)186 / 88 खण्ड—5—5756—58 दिनांक, 3.11.14
शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2 अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

3 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला—171002

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.